

Anti-Sexual Harassment Policy & Committee



Multi Art Association

H.No.- 153/A/1, Street- Bhudhandih, Near Bazar Samiti, Sudna, Daltongnaj,
Palamu, Jharkhand- 822102, www.maango.org



Mithilesh Kumar
Secretary
Multi Art Association

James Henry
Treasurer
Multi Art Association

मानव संसाधन नीति (यौन उत्पिड़न विरोधी नीति एवं समित (anti-Sexual Harassment Policy & Committee.)

नीति	कानून	दस्तावेज
यौन उत्पिड़न विरोधी नीति एवं समिति (anti-Sexual Harassment Policy & Committee.) संस्था मे किसी महिला कार्यकर्ता के साथ यौन उत्पिड़न को रोकने तथा उचित कारवाई सुनिश्चित करने को लेकर विशाखा गाइड लाइन के अनुरूप एक आस कमिटी होगा।	शिकायत निवारण प्रणाली (Complaint Redressal Mechanism) परिभाषा (Definition of Sexual Harassment) परिभाषा (Definition of Sexual Harassment) कोई भी निर्धारित अप्रिय यौन व्यवहार जैसे— क. शारीरिक संपर्क एवं आगे बढ़ना ख. यौन एहसास का मांग एवं निवेदन ग. यौन संबंधि रंग दिखाना घ. अशिल्ल चित्र का प्रदर्शन ड. अन्य शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक, सांकेतिक अप्रिय यौन आचरण एक तीन सदस्यीय यौन उत्पिड़न विरोधी समिति (कम से कम दो महिला होंगे) कार्यकर्ता द्वारा कार्य स्थल पर यौन उत्पिड़न से संबंधित किये गये शिकायत को देखने के लिए जिम्मेवार होंगे। समिति मे शामिल लोगों के बारे मे कार्यकर्ताओं को समय-समय पर जानकारी दी जायेगी। कोई भी कर्मचारी/कार्यकर्ता जो यौन उत्पिड़न का मामला दर्ज कराना चाहता है वह लिखित रूप मे यौन उत्पिड़न समिति के किसी भी सदस्य के पास शिकायत कर सकता है। शिकायत कर्ता द्वारा घटना की प्रकृति, दिनांक, स्थान, आरोपी का नाम साफ-साफ उल्लेख करना चाहिए तथा प्रासंगिक तथ्यों की एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपना चाहिए। कर्मचारी /कार्यकर्ता द्वारा यौन उत्पिड़न के मामले की शिकायत करने पर मामले को दायर कर उसे संरक्षा प्रदान किया जायगा। समिति दोना पक्षों के इच्छाओं का सम्मान करते हुए गोपनीयता सुनिश्चित करेगा तथा निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच प्रक्रिया अपनायेगा। जांच प्रक्रिया मे विवाद से बचने के लिए जांच के समय एक संस्था से बाहर के बाहर अन्य संगठन से एक आदमी को लिया जायगा। कारवाई के लिए समय सीमा के अंदर आरोप का पहचान किया जायगा। आरोप साबित होने पर विशाखा गाइड लाइन के अनुरूप सजा तय किया जायगा। यदि जांच के बाद यह पता चलता है कि झूठे आरोप गढ़े गये थे तो आरोपकर्ता को एक निश्चित अवधि तक के लिए अनुशासनात्क कारवाई का सामना करना पड़ेगा।	1. शिकायत पत्र 2. कारवाई प्रक्रिया का दस्तावेज 3. बैठक रजिस्टर

Secretary
Multi Art Association

James Hare
Treasurer
Multi Art Association

